उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग–1
संख्याः273(1)/35–1–2/1(22)/2013
लखनऊः दिनॉक 10 जून, 2013

संविधान के अनुच्छेद–309 के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार कार्मिक अनुभाग–1 के अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या–13(10)/2004/का –1–2012, दिनॉक 07 दिसम्बर, 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गयी है।

मूल्यांकन प्रभाग,राज्य नियोजन संस्थान ,उ0प्र0 के सांख्यिकीय संवर्ग का पुनर्गठन नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–692/35–1–2012–2/1(9) /2011दिनॉक 24 अगस्त,2012 द्वारा किया जा चुका है एवं कार्मिक अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–15/140/81/का–1–2012, दिनॉक 14 मई,2012 द्वारा मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के सांख्यिकीय सवर्ग के अपर सांख्यिकीय अधिकारी वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– में समूह ''ख'' के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 में सांख्यिकीय संवर्ग के अपर सांख्यिकीय अधिकारी वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– को राजपत्रित घोषित किया जाता है। तद्नुसार समूह ''ख'' राजपत्रित अधिकारियों के मानक के अनुसार अपर सांख्यिकीय अधिकारी की प्रास्थिति (स्टेटस) निर्धारित की जाती है।

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्याः 273 (1) /35–1–2013, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
2– निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, कालांकाकर,लखनऊ।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव ।